न्यायालय तहसीलदार जसवंततपुरा

मुकदमा नंबर 145/2016

राजस्थान सरकार जरिये बनाम गैरसायल

पटवारी हल्का गोलाणाा श्री गंगासिह पुत्र श्री परबतसिह

जाति राजपुत निवासी गोलणा

निर्णय दिनांकः—17.02.2017

पत्रावली पेश हुयी। गैरसायल हाजिर। पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गोलाणा व निरीक्षक भू0अ0 जसवंतपुरा ने रिपोर्ट पेश की कि गैरसायल ने संवत 2073 में मौजा ~~जसवंतपुरा~~ गोलाणा के खसरा नंबर 1728 रकबा 0.27 हेक्टर किस्म गै.मु वाला में अनाधिकृतरूप से पक्का कमरा मय की काश्त कर कब्जा किया है। जिस पर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल नें अपने जबाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई सबूत पेश नही किये,नही पेश करना चाहता है जिससे यह साबित होता है कि गैरसायल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 (1) के तहत संवत 2073 में मौजा ~~जसवंतपुरा~~ गोलाणा के खसरा,नंबर 1728 रकबा 0,27 हेक्टर किस्म गै.मु. वाला अतिक्रमी घोषित किया जाकर चरी की फसल को कुर्ककर निलामी करने व अतिक्रमित रकबे से भौतिकरूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है साथ ही अतिक्रमित रकबे पर भू राजस्वं अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) तहत का वार्षिक लगान 1.08 का 50 गुणा रू0 54/– अक्षरे चौपन्न रूपये मात्र बतौर जुर्माना आरोपित किया जाता है। निरीक्षक (भू.अ.) जसवंतपुरा ,पटवारी हल्का गोलाणा को भौतिकरूप से बेदखल करने एवं जुर्माना कायमी हेतु लिखा जाये। आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

तहसीलदार ,जसवंतपुरा

Scanned by CamScanner